श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) यद्यपि असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून विद्यमान हैं, जैसा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम जैसे अधिनियमों के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन की घटनाओं की सूचना मिली है।

(ग) औद्योगिक कानूनों के सम्बन्ध में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित द्वि-पक्षीय समिति ने व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। औद्योगिक सम्बन्ध कानून पर रामानुजम समिति की सिफारिशों तथा 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा भारतीय श्रम सम्मेलन में हुये विचार-विमर्शों के आधार पर और औद्योगिक पुनर्संरचना के सम्बन्ध में गठित अन्तर्मंत्रालीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

(घ) से (च) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 25 अक्तूबर, 1975 से बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त कर दी गयी है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित कर रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन समुचित सरकारों ने प्रवर्तन तंत्र का गठन किया है, यह तंत्र आवधिक निरीक्षण करता है और जहां कहीं भी कानून के उल्लंघन की सूचना मिलती है यह नियोक्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है। राज्यवार कृषि कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी, प्रवर्तन तंत्र द्वारा किये गये निरीक्षणों और की गयी कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 39] केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में आवधिक संशोधन सुनिश्चित करने, परिवर्ती महंगाई भत्ता लागू करने और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किये जाने के लिए राज्य सरकारों पर जोर दिया है।

Representation Against Termination of services of ITDC Employees

2463. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) what are the details of representations received from All India ITDC workers federation relating to illegal termination of Hotel employee's services by Government undertakings;

(b) whether Chief Labour Commissioner of Central Government has taken up the issue with the concerned authorities about the termination of the services of 7 employees from Hotel Samrat by serving one day's notice;

(c) whether Government have not advised as yet to get the illegal orders of termination withdrawn; and

(d) if so, the facts and details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (d) Government have received a representation from All India ITDC workers Federation (Affiliated to INTUC), dated 30-6-93, regarding illegal termination of services of about 70 regular employees of Hotel Samrat, New Delhi, who were on the roll of the Hotel in its flight kitchen division. The Chief Labour Commissioner of the Central Government took up the issue with Delhi Administration, as the Government of the National Capital Territory of Delhi is the appropriate Government in this case and forwarded a copy of the representation to the Labour Commissioner, National Capital Territory of Delhi for necessary action. According to information received from Delhi Administration, on termination of the contract between Indian Airlines and ITDC for flight catering services, instead of terminating the services of the contractual employees and retrenching the regular employees, the ITDC management considered their case on humanitarian grounds and with a view to avoiding any hardship to them and as a gesture of goodwill, the contractual employees have been offered alternate employment on regular basis in different Hotels of ITDC. The contractual employees whose employment came to an end on 30-6-93 were given a letter by the Management on 30-6-93 itself informing them the name of the hotel unit in which they were being offered fresh regular appointment and they were advised to report for duty to the new units within 30 days starting from 1-7-93.

Protection of Child Labour

2464. SHRI O. RAJAGOPAL :
SHRI SANGH PRIYA GAUTAM :
DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to amend the minimum wages Act to do away with the definition of 'Adult' and 'Child'

labour to ensure equal wages for both alongwith the details thereof;

(b) whether it is also a fact that this move on the part of Government will encourage more employment of child labour rather than eliminating it, if so, the details thereof;

(c) what are the details of hazardous operations and processes banned for child labour;

(d) whether the category of banned hazardous operations has successfully debarred the employers of child labour, if not, the detailed reasons therefor; and

(e) the number of prosecutions of defaulting employers launched during the last three years, alonghwith the details thereof, Statewise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LOBOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (b) No, Sir.

(c) The occupations and processes where engagement of child is prohibited are listed in Parts A & B of the Schedule to the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986.

(d) As the problem of child labour has its roots in the socio-economic complexities prevailing in the country, complete success in debarring the employers from engaging child labour has not yet been possible.

(e) As reported by the State Govts., the number of prosecutions during the last three years, State-wise is as follows :

States	1990-91	1991-92	1992-93
Madhya Pradesh	387	—	—
Punjab	448	345	—
Tamil Nadu	4	59	14
Uttar Pradesh	727	887	361
Rajasthan	—	—	3

सन् 2002 तक बेरोज़गार युवकों का आकलन

2465. **श्री विरेन जे. शाह :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2002 तक देश में बेरोज़गार युवकों की संख्या 940 लाख हो जाने का अनुमान है ;

(ख) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी बड़ी संख्या में नवयुवक बेरोज़गार थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) देश में सन् 2002 तक 940 लाख रोजगार के इच्छुक युवकों में से विभिन्न श्रेणियों जैसे शिक्षित, अशिक्षित, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कुशल और अकुशल व्यक्तियों की कितनी संख्या होने का अनुमान है; और

(ङ) सभी को रोज़गार देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने किस वार्षिक दर पर रोज़गार के अवसर बढ़ाने का निश्चय किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) जी, हां । 1992-2002 की अवधि के दौरान रोज़गार चाहने वालों की अनुमानित संख्या 940 लाख है । इसमें 230 लाख व्यक्तियों का अनुमानित बैकलॉग तथा आठवीं योजना के आरम्भ में श्रम बल में 710 लाख नए व्यक्ति शामिल है ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित रोज़गार एवं बेरोज़गारी संबंधी अन्तिम व्यापक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 1987-88 में बेरोज़गार व्यक्तियों में से लगभग 68 प्रतिशत व्यक्ति 15-29 वर्ष के आयु समूह के थे । आठवीं योजना में परिकल्पित रोज़गार नीति और नौवीं योजना के दौरान इसे जारी रखने से सन 2002 ईसवी तक लगभग पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त कर लेने की आशा है । इस प्रक्षेपण में अंतर्निहित रोज़गार की वृद्धि दर प्रतिवर्ष लगभग 2.7 प्रतिशत होगी ।

ठेकाश्रम अधिनियम का उल्लंघन

2466. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ठेकाश्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम का उल्लंघन किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है व सभा पटल पर रख दी जायेगी ।